उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

संख्या-15/2022/I/197581/38-4-2022

लखनऊ : दिनांक : 02 अगस्त, 2022

शुद्धि-पत्र

कृपया शासनादेश संख्या-12/2022/I/196861/001-38-4002-99-3-2021, दिनांक-01 अगस्त, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13(सामान्य मद) में 2022-23 के लिये चिन्हित आई0ए0पी0 के 309+नान आई0ए0पी0 के 15809=कुल 16118 लाभार्थियों के आवास निर्माण हेतु एकमुश्त कुल धनराशि **रूपये 19372.50 लाख (रूपये एक अरब तिराबने करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के विषय में त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2021-22 अंकित हो गया है।

2- अतरू उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक-01 अगस्त, 2022 के विषय पर अंकित वित्तीय वर्ष 2021-22 के स्थांन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-15/2022/I/197581/38-4-2022, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3
(10) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(11)श्री लाल धीरेन्द्र राव, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) गार्ड बुक।

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in